



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ1(3)Acctts/estt./RDP/PF/2017-18/

जयपुर, दिनांक:-

-: आदेश :-

मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन नियतन की शक्तियां पंचायती राज विभाग में है। जिला आयोजना में पदस्थापित कार्मिकों के राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन करने के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन करने के लिए संबंधित जिला परिषद(पंचायत प्रकोष्ठ) में पदस्थापित मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी को अधिकृत होंगे। जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) में वरिष्ठतम लेखा कार्मिक का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में पद स्थापित परियोजना अधिकारी लेखा इस कार्य के लिए अधिकृत होंगे। जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) एवं जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में वरिष्ठ लेखा कार्मिक का पद रिक्त होने की स्थिति में कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी अधिकृत होंगे।
2. मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध स्थिर मानदेय पर पदस्थापित सेवानिवृत्त लेखाकार्मिक वेतन निर्धारण के अनुमोदन के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

संयुक्त शासन सचिव(जिला आयोजना) द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1199 दिनांक 04.12.2017 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

SD

हो

(सामावतार शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

जयपुर, दिनांक:-

क्रमांक:-एफ1(3) Acctts/estt./RDP/PF/2017-18/

10026-36

09-02-2018

प्रतिलिपित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
- 2 निजी सहायक, शासन सचिव एवं सचिव पंचायती राज विभाग
- 3 निजी सहायक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त(नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5 संयुक्त शासन सचिव(प्रशा.-1)/अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन उप सचिव, प्रशा.-2 पंचायती राज
- 6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (समस्त), राजस्थान
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला परिषद(पंचायत प्रकोष्ठ) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) लेखा जिला परिषद (समस्त), राजस्थान
- 8 संयुक्त शासन सचिव(आयोजना) पंचायती राज विभाग
- 9 मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना कार्यालय, समस्त।
- 10 ए.सी.पी. पंचायती राज विभाग की वेब साईट पर अपलोड
- 11 रक्षित पत्रावली।

हो

(सामावतार शर्मा)

वित्तीय सलाहकार